



2026:AHC:42416-DB

दिनांक 03.02.2026 को सुरक्षित

दिनांक 25.02.2026 को पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1684/1987

सुखलाल एवं अन्य

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रणवेश, चन्द्र कान्त भरद्वाज, प्रदीप पाण्डेय,

रघुवंश मिश्रा, यज्ञधर त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता :

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा पारित)

1. श्री रघुवंश मिश्रा, श्री अश्विनी त्रिपाठी और श्री प्राणवेश, न्यायमित्र, को इस प्रकरण में नियुक्त किया गया क्योंकि पहले अपीलकर्तागण के लिए अधिवक्ता की अनुपस्थिति थी; श्री सुशील कुमार पांडे, राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान एजीए-1 को सुना; विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया।

2. इस आपराधिक अपील को सत्र परीक्षण संख्या 293/1985 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.6.1987 के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसमें अपीलकर्तागण को धारा 302/34 भा०द०सं० के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 20/21.7.1984 की मध्य रात्रि में वादी पूरन लाल (पी.डब्ल्यू.1), निवासी ग्राम सरावत गौन्टिया, जो ग्राम बड़ा सिरसा का एक पुरवा है, थाना अलीगंज, जनपद बरेली, अपने पुत्र शिव सिंह के साथ अपने घर के सामने स्थित छप्पर के नीचे, जो नक्शा-नजरी प्रदर्श क 7 में बिंदु 'F' पर दर्शाया गया है, सो रहे थे तथा पूरन लाल के चचेरे भाई बानी सिंह एवं अन्य सदस्य, बानी सिंह के घर के अंदर सो रहे थे, जो नक्शा-नजरी प्रदर्श क 7 के अनुसार पूरन लाल के घर के समीप स्थित है। उक्त रात लगभग 3.00 बजे पूरन लाल बानी सिंह (पी.डब्ल्यू.2) की पत्नी भू देवी और उसकी बहन शकुंतला, पी.डब्ल्यू.3 की बंदूक की गोली चलने की आवाज और रोने की आवाज सुनकर जाग गया और एक और गोली चलाई गई और उसके बाद पूरन लाल और उसके बेटे, शिव सिंह, बानी सिंह के घर की ओर दौड़े और उस आरोपी को देखा, बंदूक से लैस सुखलाल, आरोपी राजपाल के हाथ में टॉर्च और लाठी लेकर और आरोपी शिशुपाल, एक ही गांव के रहने वाले सभी निवासी बनी सिंह के घर से बाहर निकलकर भाग रहे थे। शिकायतकर्ता पूरन लाल और उनके बेटे शिव सिंह ने चांद की रोशनी में उन्हें पहचान लिया और कुछ दूर तक उनका पीछा किया। आरोपियों ने उन्हें आग्नेयास्त्रों से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और फरार हो गए। शिकायतकर्ता और उसका बेटा बानी सिंह के घर के अंदर गए और देखा कि मिट्टी का तेल 'डिब्बी' जल रहा था और बानी सिंह फूस के ढांचे के अंदर रखी खाट पर मृत पड़ा हुआ था। भू देवी और शकुंतला ने उन्हें बताया कि अभी-अभी आरोपी सुखलाल बंदूक से लैस था; आरोपी शिशुपाल, जो देसी पिस्तौल से लैस था और आरोपी राजपाल, जो लाठी और टॉर्च से लैस था, ने इस तरह से हत्या की कि आरोपी राजपाल ने अपनी टॉर्च से रोशनी चमकाई और आरोपी सुखपाल और शिशुपाल ने खाट पर सो रहे बानी सिंह पर करीब से अपनी-अपनी आग्नेयास्त्रों से गोलियां चलाई और उन्होंने मिट्टी के तेल से निकलने वाले चांद और प्रकाश की रोशनी में आरोपी को पहचान लिया। उन्होंने यह भी बताया कि डोरी सिंह भी बानी सिंह की चारपाई पर सो रहे थे लेकिन पहली आग की आवाज से उनकी नींद भी खुल गई। रिपोर्ट में उल्लिखित अपराध कारित करने का उद्देश्य यह है कि इस घटना से लगभग एक माह पूर्व, राम सिंह नामक व्यक्ति की बंदूक चोरी हो गई थी और राम सिंह ने उस चोरी के लिए बनी सिंह और शिव सिंह के साथ-साथ उनके अन्य रिश्तेदारों को अभियुक्त के रूप में नामित किया था; तथा यह राम सिंह, शिशुपाल के पिता करण सिंह और अन्य दो अभियुक्तों सुखलाल व राजपाल के पिता नेम चंद का संबंधी है।



4. शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन अलीगंज गया जो गांव से लगभग 8 मील दूर स्थित है और 21.7.84 को सुबह 7.00 बजे मौखिक रूप से एफआईआर प्रदर्श क 1 दर्ज कराया, जिसे कांस्टेबल-क्लर्क जगदीश प्रसाद द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने उसी समय क्रम संख्या 58 पर जीडी में एक प्रविष्टि भी की, जिसकी प्रति प्रदर्श क 3 रिकॉर्ड पर है।

5. अभियोजन पक्ष ने पूरन लाल, पी.डब्ल्यू.1, शिकायतकर्ता की जांच की, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श क 1 को एक गवाह के रूप में साबित किया, जिसने कथित तौर पर अभियुक्तों को उनके भागने के समय देखा था और अन्य चशमदीद गवाहों से घटना के ठीक बाद घटना का विवरण प्राप्त किया। श्रीमती भू देवी और शकुंतला, पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3, क्रमशः घटना के कथित चशमदीद गवाह हैं। डॉ. एफ.बी.सिंह, पी.डब्ल्यू.4, ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 2 साबित की, विवेचनाधिकारी सुरेंद्र कुमार सक्सेना, पी.डब्ल्यू.5 ने प्राथमिकी प्रदर्श क:1, जीडी प्रदर्श क 3 की प्रति, पंचायतनामा प्रदर्श क, फोटो-लैश प्रदर्श क 5, चालान-लैश प्रदर्श क 6, खून से सनी मिट्टी और बिना दाग वाली मिट्टी का नक्शा-नजरी प्रदर्श क और 7 मेमो प्रदर्श क 8, कपड़ों के संबंध में मेमो प्रदर्श क 9, मिट्टी के तेल की डिब्बी का मेमो प्रदर्श क 10, चार्ज-शीट प्रदर्श क 11 और मटेरियल रजाई प्रदर्श 1, तौलिया प्रदर्श 2, शर्ट प्रदर्श 3, खून से सना हुआ जमीन प्रदर्श 4 और बिना दाग वाली मिट्टी प्रदर्श 5 को साबित किया।

6. पूरन लाल, पी.डब्ल्यू.1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग दो साल पहले सावन के हिंदी महीने में वह और उनका बेटा, शिवसिंह, घटना की दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने घर के सामने रखे गए एक फूस के ढांचे के अंदर सो रहे थे और उक्त रात में बानी सिंह अपने घर के कोठा के सामने रखे अपने फूस के ढांचे के अंदर सो रहे थे और लगभग 2.30 और 3.00 बजे वह और एक गोली चलने की आवाज सुनकर उसका बेटा जाग गया और दूसरी गोली चलते ही वह और उसका बेटा बानी सिंह के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे और देखा कि आरोपी सुखलाल डबल बैरल बंदूक से लैस है, राजपाल के हाथ में लाठी और टॉर्च है और शिशुपाल पिस्तौल से लैस है। जल्दी से बानी सिंह के घर से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर भाग गया। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी उससे लगभग दो कदम की दूरी पर थे जब उन्होंने उन्हें भागने के समय चांदनी में पहचान लिया और उन्होंने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और उन्होंने उनकी आवाज से उन्हें पहचान भी लिया। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद वह और उनका बेटा बानी सिंह के घर के अंदर गए और बानी सिंह को खाट पर मृत पड़ा देखा और फूस के ढांचे के अंदर मिट्टी का तेल डिब्बी जल रहा था और भू देवी और शकुंतला मौजूद थे और उन्होंने उसे घटना



के बारे में बताया और यह भी कहा कि सुखलाल और शिशुपाल ने बानी सिंह पर अपने आग्नेयास्त्रों से एक-एक गोली चलाई और उसी समय राजपाल ने रोशनी चमकाई उसकी मशाल से। उन्होंने यह भी कहा कि वह सूर्योदय के समय पुलिस स्टेशन गए और उसी दिन सुबह लगभग 9.00 बजे वहां पहुंचे और प्रदर्शक 1 रिपोर्ट दर्ज कराई।

7. श्रीमती भू देवी, पी.डब्ल्यू.2, मृतक बानी सिंह की पत्नी ने कहा है कि आरोपी सुखलाल, शिशुपाल और राजपाल उसे पहले से और लगभग दो साल पहले रात में जानते थे, 'सावन' के हिंदी महीने में वह और उसके पति बानी सिंह अपने घर के कोठा के सामने रखे एक फूस के ढांचे के नीचे सो रहे थे और उक्त रात में उसका 'नंद' शकुंतला भीतरी आंगन में सो रहा था और उनका बेटा डोरी सिंह बानी सिंह की खाट पर सो रहा था। उसने आगे कहा कि लगभग 2.00 बजे वह और उसका 'नंद' और उसका बेटा, डोरी सिंह गोलियों की आवाज सुनकर जाग गए और उस समय फूस के ढांचे के अंदर मिट्टी के तेल का छोटा दीपक जल रहा था और चांदनी रात थी और उसने देखा कि बंदूक से तैस आरोपी सुखलाल ने उसके पति पर गोली चलाई, जिससे उसकी गर्दन और शिशुपाल पर चोट लगी। देसी पिस्तौल से तैस बानी सिंह पर गोली चला जिससे उसके व्यक्ति को गोली लगी और आरोपी राजपाल भी आरोपी के साथ था, जिसके पास लाठी और टॉर्च थी और उसने घटना के समय अपनी टॉर्च से रोशनी चमकाई। उसने कहा कि उसने और उसके नंद ने चिल्लाया और उसके 'जेठ' पूरन लाल और उसके बेटे शिव सिंह वहां पहुंचे और आरोपी भाग गए और बानी सिंह की उस खाट पर मौत हो गई जहां वह सो रहा था और खून से खून बह रहा था जो खाट और जमीन पर गिर गया और उसने आरोपियों के नाम पूरन लाल और शिव सिंह को बताया। श्रीमती भू देवी। उससे लंबी पूछताछ की गई, लेकिन विचारण न्यायालय ने पाया कि उसकी जिरह में इस बात पर अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं निकला है कि आरोपी सुखलाल और शिशुपाल ने घटना की दुर्भाग्यपूर्ण रात में बानी सिंह पर क्रमशः बंदूक और एक देशी पिस्तौल से एक-एक गोली चलाई और उसने एक छोटे मिट्टी के तेल से निकलने वाली रोशनी में आरोपी को स्पष्ट रूप से पहचान लिया, जो उस समय जल रहा था। घटना और चाँद की रोशनी और आरोपी राजपाल द्वारा टॉर्च से चमकने वाली रोशनी में भी। अपनी जिरह के पैरा 6 में इस गवाह ने निस्संदेह कहा कि उसका 'जेठ' पूरन लाल पुलिस के आने तक घर पर ही रहा, जो अगली सुबह लगभग 10.00 बजे पहुंचा, जबकि पूरन लाल पी.डब्ल्यू.1 ने कहा कि वह खुद 'टोंगा' से पुलिस स्टेशन गया था और वह सुबह लगभग 9.00 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज की। विचारण न्यायालय ने माना



हैं कि श्रीमती भू देवी, पी.डब्ल्यू.2, अपने पति की मृत्यु के कारण सदमे में हो सकती हैं और शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि पूरन लाल, पी.डब्ल्यू.1, खुद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। केवल, इस आधार पर कि उसने कहा है कि पूरन लाल, पी.डब्ल्यू.1, सुबह 10.00 बजे पुलिस के आने तक पुलिस स्टेशन नहीं गया था, उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

8. श्रीमती शकुंतला, पी.डब्ल्यू.3 ने कहा है कि वह अपने माता-पिता के पास आई थी? घटना से लगभग दो महीने पहले और 'सावन' के महीने की मनहूस रात में वह घर के भीतरी आंगन में सो रही थी और उसका भाई बानी सिंह और भाभी भू देवी, कोठा और डोरी सिंह के सामने रखे फूस के ढांचे के अंदर सो रहे थे। बानी सिंह का बेटा बानी सिंह की खाट पर सो रहा था और कोठा के 'तक' में रखे इस फूस के ढांचे के अंदर मिट्टी के तेल का छोटा सा दीपक जल रहा था। उसने आगे कहा कि उक्त रात लगभग 2:00 या 2.30 बजे वह बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनकर उठी और देखा कि भू देवी और डोरी सिंह खाट के पास खड़े थे और आरोपी सुखलाल, एक बंदूक से लैस और शिशुपाल, एक पिस्तौल और राजपाल के साथ, एक लाठी और टॉर्च ले गए, वहां मौजूद थे और राजपाल ने अपनी टॉर्च से रोशनी चमकाई और सुखलाल ने अपनी बंदूक से एक खाली कारतूस निकाला और इसलिए, उसे यकीन था कि यह सुखलाल था, जिसने पहली गोली चलाई थी और उसके बाद शिशुपाल ने बानी सिंह पर दूसरी गोली चलाई और दोनों गोलियों से बानी सिंह के व्यक्ति को चोटें आईं। उसने आगे कहा कि उसने और भू देवी ने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद उसका एक अन्य भाई पूरन लाल वहां पहुंचा और आरोपी फरार हो गया। उसने आगे कहा कि चांदनी रात थी और उसने केरोसिन तेल के दीपक और चंद्रमा की रोशनी से निकलने वाली रोशनी में आरोपी को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। उन्होंने आगे कहा कि बानी सिंह की मौत खाट पर गोली लगने से हुई और खून खाट और जमीन पर गिर गया। उसने आगे कहा कि उसने घटना के बारे में बताया, लेकिन उसने खुद आरोपी के नाम पूरन लाल को नहीं बताया। अपनी जिरह में उसने निस्संदेह कहा कि रिपोर्ट दर्ज करने से पहले कुछ परामर्श किया गया था और चौकीदार को पुलिस स्टेशन भेजा गया था और पुलिस निरीक्षक अगली सुबह लगभग 8.00 या 9.00 बजे गांव में आया था। विचारण न्यायालय ने माना है कि पीडब्लू-3 ने बिना किसी संदेह के बयान दिया है कि हमलावर अपने मुंह के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा लपेट रहे थे, लेकिन उसने एक स्पष्ट बयान दिया है कि उसने आरोपी को मौके पर ही स्पष्ट रूप से पहचान लिया था।



9. दिनांक 22.7.84 को दोपहर 3.00 बजे डॉ. एफ.बी.सिंह, चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल बरेली ने बानी सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्शक 2 दी।

10. पी.डब्ल्यू.4, डॉ. एफ.बी. सिंह ने गवाही दी कि 22.7.1984 को वह जिला अस्पताल बरेली में चिकित्सा अधिकारी थे और इस तारीख को दोपहर 3.00 बजे उन्होंने बानी सिंह के शव का शव परीक्षण किया, जिसे कांस्टेबल रेवती प्रसाद और सुरेश चंद्र सीलबंद बंडल में लाए गए थे, जिन्होंने इसकी पहचान की। डॉ. एफ.बी.सिंह की गवाही और उनके द्वारा सिद्ध की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्शक 2 से यह स्पष्ट है कि बानी सिंह की आयु लगभग 35 वर्ष थी। रिगोर मोर्टिस निचले अंग में मौजूद था और ऊपरी अंगों में मर गया था। पेट फैला हुआ था, फफोले में सड़न हो गया था। आंखें आधी खुली हुई थीं। बानी सिंह के शव का पोस्टमार्टम पूर्व लक्षण पाए गए डॉक्टर:-

i. गर्दन के पिछले हिस्से के दाईं ओर 2 सेमी x 2 सेमी x मुंह गुहा के दाहिने कान के पीछे 2 सेमी गहरी प्रवेश के लिए बंदूक की गोली का घाव दाहिने कान के पीछे 2 सेमी, काला पड़ना, गोदना और झुलसना मौजूद था। मार्जिन उल्टा था। दिशा दाएं से बाएं थी।

ii. छाती के दाहिने हिस्से के ऊपरी हिस्से पर दाहिने कंधे के मध्य से 3 सेमी नीचे 2 सेमी व्यास का बंदूक की गोली का घाव। मार्जिन उल्टा, कालापन, टैटूइंग और झुलसाने वाला मौजूद। नीचे की ओर दिशा।

11. आंतरिक जांच में डॉक्टर ने खोपड़ी का आधार टुकड़ों में टूटा हुआ पाया और एक गट्टा का टुकड़ा और 18 छर्रे पाए गए। डॉक्टर ने सही हंसली और पहली और 2 पसलियों को फ्रैक्चर पाया। फुस्फुस का आवरण दोनों तरफ से घाव हो गया था। एक लीटर खून से सना हुआ तरल पदार्थ मौजूद है। एक गट्टा और 25 छर्रे मिले। डॉक्टर ने पाया कि दोनों फेफड़े फटे हुए हैं और दाएं फेफड़े से चार छर्रे और बाएं फेफड़े से 3 छर्रे निकाले गए हैं। डॉक्टर ने पाया कि दिल दो जगहों पर पंचर हुआ है और दो छर्रे निकाले गए दिल खाली पाया गया और उसका वजन 200 ग्राम था। पेरिकार्डियम जगह-जगह पंचर हो गया। दाहिनी ओर के हृदय पर बड़ी रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। पेरिटोनियम गुहा में कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने ऊपरी और निचले जबड़े के जाइगोमैटिक और नाक की हड्डियों के फ्रैक्चर पाए और 20 छर्रे को पाया। जीभ में चोट लगी पाई गई। डॉक्टर ने आंतों में मल पदार्थ और गैसें पाईं। पित्ताशय और मूत्राशय आधा भरा हुआ। डॉक्टर की राय में मृत्यु पूर्व मार्टम चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी



जो 21.7.84 को लगभग 3.00 बजे हो सकती थी। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय के अनुमान में दोनों तरफ 6 घंटे का अंतर हो सकता है और मृत्यु तात्कालिक हो सकती है और अधिक से अधिक 10 या 15 मिनट के भीतर पोस्टमार्टम चोटों को बनाए रखने के बाद। अवर न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर एफबी सिंह की जिरह में अभियोजन पक्ष के प्रकरण को झुठलाने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया है। आई.ओ. एस.के. सक्सेना पी.डब्ल्यू.5 द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट प्रदर्शक 4 से और पूरन लाल, पी.डब्ल्यू.1, श्रीमती भू देवी, पी.डब्ल्यू.2 और शकुंतला, पी.डब्ल्यू.3 के बयानों से यह भी स्थापित होता है कि बानी सिंह की मृत्यु दिनांक 20/21.7.1984 की रात को इस घटना में बंदूक की गोली लगने के कारण हुई थी। अभियोजन पक्ष ने बानी की मौत साबित कर दी है, जिसे आरोपी ने खारिज नहीं किया है।

12. पीडब्ल्यू.5, श्री सुरेंद्र कुमार सक्सेना, एसओ, पी.एस.अलीगंज जो रिपोर्ट दर्ज करने के समय उपस्थित थे। उन्होंने एफआईआर पर भी अपने हस्ताक्षर किए और तुरंत पुलिस स्टेशन में पूरन लाल और सी/सी जगदीश प्रसाद के बयान लिए। वह संबंधित कागजात और पुलिस बल के साथ उसी दिन घटना स्थल पर पहुंचे और शव को पुलिस हिरासत में लेने और पंचों की नियुक्ति करने के बाद जांच रिपोर्ट प्रदर्शक 4 तैयार की। उन्होंने फोटो-लैश प्रदर्शक 5, और चालान-लैश प्रदर्शक 6 तैयार किया और शव को विधिवत सील कर दिया और उसे कांस्टेबल रेवती प्रसाद गुप्ता और सुरेश चंद्र के माध्यम से बरेली के मुर्दाघर में भेज दिया। उन्होंने गवाहों, भू देवी, श्रीमती शकुंतला, डोरी सिंह और शिव सिंह के बयान दर्ज किए और घटना स्थल का नक्शा-नजरी प्रदर्शक 7 तैयार किया। उन्होंने मौके से खून से सनी और बेदाग मिट्टी ली और इसे अलग-अलग कंटेनरों में रखा, इस संबंध में मेमो प्रदर्शक 8 तैयार किया गया है। उन्होंने खाट से एक खून से सनी रजाई प्रदर्शक 1, एक तौलिया प्रदर्शक 2 और शर्ट प्रदर्शक 3 लिया और इस संबंध में मेमो प्रदर्शक 9 तैयार किया। उन्होंने मौके से मिट्टी का तेल डिब्बी लिया और बाद में उसकी जांच करते हुए गवाहों की उपस्थिति में सुपुरदगीनामा प्रदर्शक 10 तैयार करने के बाद श्रीमती भू देवी को सुपुरदगी दे दी। आई.ओ. ने आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।

13. अभियुक्तों ने द0प्र0सं0 की धारा-313 के तहत दर्ज अपने बयानों में अपने अपराध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरन लाल ने दुर्भावना के कारण झूठे प्रकरण में फंसाया था। उन्होंने राम सिंह के साथ अपने संबंधों से इनकार किया, जबकि पूरन लाल (पी.डब्ल्यू.1) ने अपने बयान के पैरा 8 में कहा कि राम सिंह और नेम चंद, आरोपी सुखलाल और राजपाल के



पिता, सरहू (बहनोई) हैं क्योंकि उनकी पत्नियों के माता-पिता एक गांव धर्मपुर और एक ही गोत्र और खानदान के हैं। अभियुक्तों ने आरोपी सुखलाल और राजपाल के पिता नेम चंद के बयान प्रदर्शक 1 की प्रति भी दायर की है, जिससे पता चलता है कि वह मुंसिफ-मजिस्ट्रेट बरेली की न्यायालय में आपराधिक प्रकरण संख्या 4/84 में गवाह था और उसने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही दी और राम सिंह के पक्ष में बयान दिया। इस बयान से यह भी पता चलता है कि नेमचंद की शादी गांव धरमपुर में हुई थी और राम सिंह की दूसरी शादी भी गांव धरमपुर में हुई थी।

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस प्रकरण में घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबा दिया गया था और एफआईआर की पवित्रता संदिग्ध है; पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 घटना के चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन उन्हें घटना में कोई चोट नहीं आई, जब वे कथित घटना के समय मृतक के पास थे; तथ्य के अभियोजन पक्ष के गवाह इच्छुक और पक्षपातपूर्ण हैं और इसलिए, उनकी गवाही को विचारण न्यायालय द्वारा वास्तविक के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी; यह रात की घटना का प्रकरण है और प्रकाश का स्रोत और अभियुक्त की पहचान विश्वसनीय नहीं थी; अपीलकर्तागण से कोई आपत्तिजनक वसूली नहीं की गई थी और न ही उन्हें सौंपा गया मकसद पूरी तरह से साबित हुआ था; मृतक के व्यक्ति पर लाठी-लाठियों के कारण कोई चोट नहीं पाई गई, जब अपीलकर्ता राजपाल को लाठी से लैस बताया गया था।

15. विद्वान एजीए ने अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए सबूतों से, अभियोजन पक्ष का प्रकरण पूरी तरह से साबित हो गया था। विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही पर सही विश्वास किया है और इसके लिए ठोस कारणों के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा स्थापित बचाव को खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अच्छी तरह से योग्य है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

16. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि घटना की वास्तविक उत्पत्ति और एफआईआर की पवित्रता के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है। कांस्टेबल जगदीश प्रसाद द्वारा पीडब्लू-1 द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई



मौखिक सूचना के आधार पर 21.7.1984 को सुबह 7:00 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी। पीडब्लू-1 ने दावा किया कि वह सुबह 09:00 बजे अलीगंज के पुलिस स्टेशन अलीगंज पहुंचा, जबकि यह रिकॉर्ड में है कि एफआईआर 21.7.1984 को घटना के अगले दिन सुबह 7:00 बजे दर्ज की गई थी। पीडब्लू-2 ने अवर न्यायालय के समक्ष कहा कि मूलचंद, चौकीदार द्वारा पुलिस को सूचना भेजी गई थी और पुलिस अगले दिन सुबह लगभग 10:00 बजे घटना स्थल पर पहुंची और तब तक पूरन लाल (पीडब्लू-1), उसका बहनोई, घर में ही रहा। पीडब्लू -1 ने कहा कि वह पुलिस स्टेशन गया था? तांगा? और सुबह 09:00 बजे वहां पहुंचे और फिर वहां एफआईआर दर्ज कराई। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि चूंकि पीडब्लू-2 चौक गया था, इसलिए उसने घर में पीडब्लू-1 की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि पीडब्लू-1 ने स्वयं स्वीकार किया था कि वह सुबह 09:00 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा था जब सुबह 07:00 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के बयानों और एफआईआर में पुनरावृत्ति में इस विसंगति को समझाने में विफल रहा।

17. घटना की उत्पत्ति भी संदिग्ध प्रतीत होती है क्योंकि पीडब्लू-3 ने स्वीकार किया कि घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने से पहले परामर्श किया गया था और चौकीदार को पुलिस स्टेशन भेजा गया था और यदि एफआईआर को पीडब्लू -1 और पीडब्ल्यू -3 के बयानों के साथ पढ़ा जाता है, तो घटना की उत्पत्ति संदिग्ध प्रतीत होती है। यह दावा किया गया था कि घटना स्थल पर सुबह 11:30 बजे जांच की गई थी, जबकि पीडब्लू-2 के अनुसार सभी कार्यवाही और कागजी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में की गई थी। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि एफआईआर सुबह 07:00 बजे दर्ज की गई थी, लेकिन पीडब्लू -1, पीडब्लू -2 और पीडब्ल्यू -3 के बयानों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह समय से पहले था और पुलिस के साथ मिलीभगत में उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज किया गया था।

18. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **मारुदनल ऑगस्टी बनाम केरल राज्य, (1980) 4 सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण 425** के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि एक बार जब एफआईआर को घटना के लंबे समय बाद मनगढ़ंत या अस्तित्व में लाया जाता है, तो पूरा अभियोजन प्रकरण ध्वस्त हो जाता है और ऐसे प्रकरण में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।



19. इस संबंध में, **बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर बनाम कर्नाटक राज्य, (2024) 8 एससीसी 149, पैराग्राफ संख्या 47** के प्रकरण में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है: -

“47. जाहिर है, इस प्रकार, मृतक के करीबी रिश्तेदार 19 सितंबर की देर रात पुलिस स्टेशन गए थे। यदि यह कथन सच होता, तो स्वाभाविक रूप से, ये व्यक्ति पुलिस को घटना के बारे में बताने के लिए बाध्य थे और उनके बयान, जो संभवतः हत्या की मौत की घटना के बारे में होते, अनिवार्य रूप से पुलिस स्टेशन की डेली डेयरी में दर्ज किए गए होते, यदि एफआईआर नहीं माना जाता था। हालांकि, मृतक के रिश्तेदारों द्वारा पुलिस स्टेशन में तथाकथित यात्रा के अनुरूप पुलिस स्टेशन की दैनिक डायरी या रोज़नामचा प्रविष्टि को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, जो एफआईआर (प्रदर्श पी-10) की वास्तविकता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। शिकायतकर्ता (पीडब्लू-1) ने जिरह में स्वीकार किया कि पौजादार उसके घर आया था और उसने उस अधिकारी को घटना सुनाई जिसने उसे लिखा था और उसके बाद, शिकायतकर्ता ने पौजादार द्वारा किए गए लेखन पर अपने हस्ताक्षर किए। हालांकि, एसआई टिकोटा पुलिस स्टेशन (पीडब्लू -18) ने शपथ पर गवाही दी कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू -1) पुलिस स्टेशन में आया और एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे घटना की शिकायत के रूप में लिया गया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से पहले शिकायतकर्ता के घर पर दर्ज की गई किसी भी शिकायत के बारे में कुछ नहीं बताया। इस प्रकार, इस महत्वपूर्ण पहलू पर एक गंभीर विरोधाभास है कि क्या रिपोर्ट शिकायतकर्ता (पीडब्लू -1) द्वारा लिखित शिकायत के रूप में प्रस्तुत की गई थी या क्या शिकायतकर्ता (पीडब्लू -1) का मौखिक बयान पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके घर पर दर्ज किया गया था, जिससे एफआईआर (प्रदर्श पी -10) दर्ज की गई थी। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुलिस स्टेशन में रखी गई डेली डेयरी का उत्पादन न करना बहुत महत्व रखता है। जाहिर तौर पर इस प्रकार, एफआईआर (प्रदर्श पी-10) एक जांच के बाद का दस्तावेज है और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

20. इसके अलावा **बिसराम बनाम राज्य 1986 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 23** के प्रकरण में इस न्यायालय की लखनऊ पीठ के खंडपीठ के फैसले पर भी भरोसा किया जाता है।

21. हम अपीलकर्ता की ओर से उद्धृत उपरोक्त निर्णयों का पालन कर चुके हैं और उसमें निर्धारित अनुपात से सहमत हैं।



22. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का दूसरा भाग, चश्मदीद गवाहों और तथ्य के अभियोजन पक्ष के गवाहों के संस्करणों की सत्यता के बारे में, जो कथित रूप से रुचि रखने वाले और पक्षपातपूर्ण होने के लिए हैं, पर विचार करने की आवश्यकता है। पी.डब्ल्यू.-3 ने उल्लेख किया कि हमलावरों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया था, इसलिए हमलावरों की पहचान संभव नहीं थी। किसी भी गवाह के कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं थे। पीडब्ल्यू -2। मृतक की पत्नी। उसने अपने पति के शरीर पर गिरने का दावा किया लेकिन उसके कपड़ों पर खून का एक भी धब्बा नहीं मिला। पीडब्ल्यू-2 के संस्करण की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से नहीं होती है। पी.डब्ल्यू.-2 के अनुसार, मृतक को लापरवाह अवस्था में गोली मार दी गई थी। ऐसा होने के नाते, पहली गोली उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर नहीं लग सकती थी, जिससे खोपड़ी के आधार में फ्रैक्चर हो सकता था, जिसके अंदर पाए गए छर्रे थे। कथित तौर पर डबल बैरल बंदूक और देसी पिस्तौल से लैस हमलावरों ने प्रत्यक्षदर्शियों को चोट पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया। दरअसल, मृतक के 8 से 9 साल के बेटे डोरी सिंह, जो उसके साथ सोता था और लगभग 4 फीट 9 इंच लंबा था, चमत्कारिक रूप से उसे कोई चोट नहीं आई। हालांकि, अभियोजन पक्ष की कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए बचाव पक्ष के अनुसार डोरी की खून से सनी शर्ट को रणनीतिक रूप से लगाया गया था। गवाह के तौर पर डोरी सिंह से पूछताछ नहीं की गई। हमलावरों का शिव सिंह (पी.डब्ल्यू.-1 के बेटे) के खिलाफ एक समान उद्देश्य था और इसलिए यह संभावना नहीं थी कि जब शिव सिंह और पी.डब्ल्यू.-1 घटना स्थल के पास मौजूद थे, फिर भी उन्हें चोट नहीं आई, हालांकि वे हमले के मुख्य लक्ष्य होते। पी.डब्ल्यू.-1 मृतक का चचेरा भाई होने के नाते, पी.डब्ल्यू.-2, उसकी विधवा होने के नाते और पी.डब्ल्यू.-3, मृतक की बहन होने के नाते, इच्छुक और पक्षपातपूर्ण गवाह थे, इसलिए उनके साक्ष्य को सावधानी से माना जाना था। अभियुक्तों के पास अपराध करने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके और मृतक राम सिंह के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा। इसके विपरीत पी.डब्ल्यू.-1 के पास अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए पर्याप्त कारण थे, क्योंकि सुखलाल शिव सिंह (पी.डब्ल्यू.-1 के पुत्र) और मृतक के खिलाफ दर्ज चोरी के प्रकरण में गवाह था। आरोपी राजपाल आरोपी सुखलाल का भाई था और शिशुपाल उसका चचेरा भाई था। बचाव पक्ष के अनुसार, पी.डब्ल्यू.-1 ने वास्तव में अपीलकर्तागण के झूठे फंसाने की साजिश रची थी।



23. प्रकाश का पर्याप्त स्रोत संदिग्ध है। एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि गवाह फूस की छत के नीचे सो रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम था, वहीं दूसरी तरफ यह आरोप लगाया जाता है कि गवाहों ने चांदनी में हमलावरों की पहचान की। पीडब्ल्यू -1 ने स्वीकार किया कि रुक-रुक कर बादल थे। साइट योजना में लैंप का सटीक स्थान ठीक से नहीं दिखाया गया था। दीपक की संरचना के बारे में गवाहों की गवाही असंगत है जो साइट पर इसकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाती है। पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा कि डिब्बी मिट्टी की थी, जबकि पी.डब्ल्यू.-2 ने इसे कांच से बना बताया था, और पी.डब्ल्यू.-3 ने कहा कि यह एक मिट्टी का 'दीया' था। पीडब्लू-1 के साक्ष्य में यह आया है कि सावन का महीना था, लेकिन चांदनी मौजूद थी। उन्होंने स्वीकार किया कि आसमान में बिखरे बादल थे। प्रकाश का एकमात्र स्रोत मृतक के घर के अंदर जलती हुई डिब्बी थी।

24. यह घटना रात में लगभग 3:00 बजे हुई जब पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 मृतक के साथ एक ही घर में सो रहे थे। मृतक और उसका बेटा डोरी सिंह एक ही खाट पर एक साथ सो रहे थे, लेकिन डोरी सिंह को कोई चोट नहीं आई। उसकी खून से सनी शर्ट बरामद कर ली गई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पीडब्लू-5 द्वारा फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था। डोरी सिंह सबसे विश्वसनीय गवाह हो सकता था, जो अपने पिता, मृतक के साथ सो रहा था, लेकिन उसे अवर न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया। पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 कुछ दूरी पर सो रहे थे और फायरिंग की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। पीडब्लू-3 ने कहा था कि गोली चलने की आवाज सुनने के बाद, वह जाग गई और उसने देखा कि डोरी सिंह खाट के पास खड़ा था और आरोपी सुखलाल, एक बंदूक से लैस था और शिशुपाल, एक पिस्तौल से लैस था और राजपाल, लाठी और टॉर्च के साथ, वहां मौजूद थे; इसके अलावा, राजपाल ने अपनी टॉर्च से रोशनी बिखेरी और सुखलाल ने बंदूक से एक खाली कारतूस निकाला और इसलिए, उसे यकीन था कि यह सुखलाल था, जिसने पहली गोली चलाई थी और उसके बाद शिशुपाल ने राम सिंह पर दूसरी गोली चलाई। पीडब्लू-3 का बयान, कि सुखलाल ने जागने के बाद बंदूक से खाली कारतूस निकाला था और उसके बाद दूसरी गोली मृतक द्वारा पिस्तौल से चलाई गई थी, आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। आरोपी ने मृतक के घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया। यह संभव नहीं है कि पहली गोली चलाने के बाद सुखलाल अपनी बंदूक से खाली कारतूस निकालने के लिए घटनास्थल पर ही रहा होगा और उसके बाद आरोपी शिशुपाल ने अपनी पिस्टल से मृतक पर गोली चला दी। इस तरह के अपराध को अंजाम देने के



बाद हमलावर तुरंत घटना स्थल से भाग गए होते और उन्हें घटना स्थल पर कोई खाली कारतूस गिराने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बंदूक से दूसरी बार गोली नहीं चलाई गई थी। जांच अधिकारी, पीडब्लू-5 ने घटना स्थल से कोई खाली कारतूस बरामद नहीं किया, जैसा कि रिकॉर्ड पर प्रदर्शनों की सूची से स्पष्ट है। इसलिए, पीडब्लू-3 का कथन संभावित प्रतीत नहीं होता है।

25. अपीलकर्तागण को सौंपे गए अपराध का मकसद भी साबित नहीं हुआ। हमने ऊपर विचार किया है कि पीडब्लू-1 का मकसद आरोपी को झूठा फंसाना था क्योंकि आरोपी सुखपाल अपने बेटे, शिव सिंह और मृतक के खिलाफ दर्ज चोरी के प्रकरण में गवाह था। आरोपी राजपाल सुखपाल और शिशुपाल का भाई था। यदि इस प्रकरण में पीडब्लू -3 के बयान पर विचार किया जाता है, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले कुछ परामर्श के बारे में उसके बयान का उद्देश्य के आलोक में महत्व है, जो पीडब्लू -1 ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ किया था।

26. मृतक की आपराधिक पृष्ठभूमि और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी संभावित हत्या के संबंध में पीडब्लू-1 के बयान से विश्वसनीय प्रतीत होता है, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि मृतक, बानी सिंह को 8-9 साल पहले डकैती के प्रकरण में फंसाया गया था। इसके बाद डकैती के एक साल बाद बानी सिंह और पीडब्लू-1 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रकरण शुरू किया गया। पीडब्लू-1 ने स्वीकार किया कि 1974 में बानी सिंह के खिलाफ डकैती का एक और प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन उनकी टेस्ट पहचान परेड विफल होने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया था। पीडब्लू-1 ने आगे स्वीकार किया कि पीडब्लू-3, शकुंतला की शादी सावंती से हुई थी और वह पिछले दो वर्षों से बानी सिंह के घर में रह रही थी। उनके पति सावंती को हत्या के प्रकरण में फंसाया गया था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया था। वह पिछले करीब 2 साल से मृतक बानी सिंह के घर में रह रही थी। पीडब्लू-1 ने स्वीकार किया कि जब सूखा पड़ा था तब वह फूस की छत के नीचे सो रहा था, जिससे पता चलता है कि वह प्रासंगिक समय पर घटना के स्थान पर चांदनी के रूप में प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति को सही ठहराने के लिए थक गया है।

27. घटना का स्थान साबित नहीं हुआ था, क्योंकि साइट पर गोलीबारी के कोई स्पष्ट संकेत नहीं पाए गए थे। खून से सने गद्दे का कोई मेमो तैयार नहीं किया गया था। खाट का 'बाना' एकत्र नहीं किया गया था। मौके से खून से सनी मिट्टी के बारे में सीरोलॉजिस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। मुकदमे के दौरान खून से सनी मिट्टी के गवाहों की जांच नहीं की गई। पी.डब्ल्यू.-2 ने कहा कि सभी कागजी कार्रवाई पुलिस स्टेशन में ही की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के तहत, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने प्रकरण को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए अपीलकर्ता संदेह के लाभ के हकदार हैं। तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया जाता है।

29. अपीलकर्ता जमानत पर हैं, उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और जमानत उन्मोचित किये जाते हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है।

30. उपर्युक्त आपराधिक अपील **स्वीकृत** किया जाता है।

31. कार्यालय को विचारण न्यायालय के अभिलेख को वापस भेजने और दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय को इस निर्णय को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

32. श्री प्राणवेश, न्यायमित्र, इस न्यायालय द्वारा पूर्व में नियुक्त 10,000/- रुपये की पेशेवर शुल्क के हकदार हैं, जिसका भुगतान बिल प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर उन्हें किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

25 फ़रवरी, 2026

रुचि अग्रहरि